उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1
संख्या- 04/2017/670/43-1-2017-14(70)/2016
लखनऊ : दिनांक 02 मई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्डियन इंस्टीटयूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की रीजनल शाखा, लखनऊ को लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने, सेमिनार्स आयोजित करने तथा कार्यालय के अंशकालिक स्टाफ पर अनुमोदित व्यय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लेखानुदान के माध्यम से पारित 4,50,000/- (रूपये चार लाख पचास हजार मात्र) में से 5/12वॉ भाग अर्थात कुल धनराशि रू0 1,87,500/- (रूपये एक लाख सत्तासी हजार पॉच सौ मात्र) अनुदान के रूप में स्वीकृत करने तथा कथित संस्थान की सदस्यता ग्रहण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को आर्थिक सहायता दिये जाने के लिए रू0 5000/- (रूपये पॉच हजार मात्र) की धनराशि आरक्षित रखने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- आहरण वितरण अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उक्त धनराशि रू0 1,87,500/- (रूपये एक लाख सत्तासी हजार पॉच सौ मात्र) आहरित कर अवैतनिक सचिव, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली की उ0प्र0 रीजनल शाखा, लखनऊ को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

3- भविष्य में राज्य सरकार द्वारा संस्थान को किसी प्रकार की सहायता/अनुदान देने पर तभी विचार किया जाएगा जब संस्थान द्वारा अनुदान दिये जाने संबंधी नियमावली तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्थान द्वारा शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। उक्त धनराशि से संबंधित लेखे राज्य सरकार द्वारा आडिटेबुल होगें।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-46 के ''लेखा शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-004-अनुसंधान-03-इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश की रीजनल शाखा, लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) '' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-03/2017/बी-1-348/दस-2017-231/दस-2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

एस0एन0 शुक्ल
अपर मुख्य सचिव।

- - - - - 2/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-670(1)/43-1-2017 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- अवैतनिक सचिव, आई0आई0पी0ए0, नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश रीजनल शाखा, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अनुभाग अधिकारी, लेखा, प्रशासनिक सुधार विभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
6- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

डा0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।